मोहन बनाम गुलाबा

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 2021/135

30.11.2022	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील पुनः नम्बर पर लिये जाने का कथन किया । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवान की अपील माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.2015 को सुनवाई हेतु जैरकार थी । प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी क्रम 01 मोहनलाल उपस्थित होता रहा है किन्तु मोहन लाल के पुत्र छीतर लाल के साथ दुर्घटना में गंभीर बीमार हो जाने और बाद में काफी इलाज करवाने के बाद भी मृत्यु हो जाने से मोहनलाल की मानसिक स्थिति कमजोर हो गयी और प्रार्थीगण के माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका जिसके कारण उनकी अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई । अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता उक्त कारणवश ही माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे । न्यायहित में उक्त अपील को नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे । अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा ने उक्त अपील अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में आदेश 41 नियम 11 (2) के तहत भी खारिज की है । प्रार्थी ने न्यायालय में अपना मानसिक असंतुलन का कोई चिकित्सकीय प्रमाण पत्र आदि पेश नहीं किया है । प्रार्थी के अलावा न्यायालय में दो अन्य पक्षकार भी थे औन उनके अभिभाषक भी थे । पक्षकार का दायित्व की वह न्यायालय में समय–समय पर उपस्थित हों । अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील अवधि बाधित पेश की है । छीतर लाल जी के साथ कब घटना घटी व कब उनका देहान्त हुआ प्रार्थना पत्र में प्रकट नहीं किया । अपीलान्ट द्वारा अपने वकील साहब से सम्पर्क क्यों नहीं किया इस बाबत् कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है । उक्त प्रार्थना पत्र 06 वर्ष पश्चात् बिना उचित कारण बताये पेश किया है जबकि रेस्टोरेशन की मियाद केवल एक माह है । उक्त प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 में जब अपीलान्ट प्रकरण में भाग ले रहे थे तो 06 वर्ष पश्चात् प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई यथोचित कारण नहीं बताया है, असत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पेश किया है जो खारिज योग्य है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1983 (एससी) पेज 676, आरएलडब्ल्यू 2001 (1) पेज 427, आरएलडब्ल्यू 1997 (1) पेज 377, डीएनजे 2013 (4) पेज 1848, आरआरडी 1994 पेज 23, 480, 25, आरआरडी 2019 पेज 332, आरआरटी 2021 (1) 336, 611, 385, आरआरडी 1995 पेज 456 उद्वरत की ।

हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.04.2015 को उक्त अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में तथा आदेश 41 नियम 11 (2) के तहत खारिज की है । प्रार्थी ने उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 27.07.2021 को रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो लगभग 06 वर्ष पश्चात् पेश किया है । प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किये जाने का मुख्य कारण अपना मानसिक असंतुलन होने का कथन किया है परन्तु उनके द्वारा मानसिक असंतुलन के सम्बन्ध में कोई चिकित्सकीय प्रमाण पत्र आदि पेश नहीं किया है । प्रार्थी के अलावा न्यायालय में दो अन्य पक्षकार भी थे औन उनके अभिभाषक भी थे । दो अन्य पक्षकारों अपीलान्ट कम 2 निरमल निर्मल व अपीलान्ट कम 3 शान्ति भी न तो इतने वर्षों तक स्वयं उपस्थित हुए तथा न ही उनके अभिभाषक उपस्थित हुए । इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे पर्याप्त एवं संतोषजनक प्रतीत नहीं होते हैं । पक्षकारान का दायित्व है कि वे समय–समय पर न्यायालय में उपस्थित हों परन्तु प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा लापरवाही करते हुए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके अभिभाषक उपस्थित हुए हैं । आदेशिका दिनांक 04.07.2014 को रेस्पोडेन्ट कम 2 की मृत्यु होने पर अपीलान्ट द्वारा कायममुकाम पेश करने थे, परन्तु पत्रावली खारिज होने तक उन्होंने कायममुकाम पेश नहीं किये । प्रार्थीगण द्वारा अपील अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज होने के बाद रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र लगभग 06 वर्ष के विलम्ब से बिना कोई स्पष्ट तथा संतोषजनक कारण बताए पेश किया है । उपर्युक्त परिस्थिति में प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है । उपुर्यक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होने से खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा